


प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :- प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :- 2022
प्र0सू0रि0 सं 169/22 दिनांक 6/5/2022
2. (1) अधिनियम धाराएँ 7,7ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व 120बी. भादसं
(2) अधिनियम..... धाराएँ
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएँ
3. (क) घटना का दिन :- दिनांक 05.05.2022 गुरुवार
(ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- 28.04.2022 समय :- 10.23 ए.एम
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 123 समय 9.30 PM
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित/मौखिक) लिखित
5. घटनास्थल का ब्योरा :-
(क) थाने से दिशा एवं दूरी - दक्षिण-पश्चिम एवं 55 किलोमीटर
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता:- एन.एच. 27 पर स्थित मदन जी के जय अम्बे रानी होटल के सामने, डाबी कोटा राजमार्ग
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री धनराज गुर्जर
(ख) पिता का नाम :- श्री रामकिशन
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- 25 साल
(घ) राष्ट्रीयता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय - मजदूरी
(छ) पता :- ग्राम कंवरपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
(1) श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री रामनिवास जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी बम्बूलिया कला तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बून्दी
(2) श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल पुत्र श्री गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 52 साल निवासी रामदेव जी मन्दिर के पास, नयाखेडा पुलिस थाना कुन्हाडी जिला कोटा शहर हाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बून्दी
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य: - 5,000 रुपये
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-

दिनांक 27.04.2022 को समय 10.23 ए.एम. पर श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल परिवादी श्री धनराज गुर्जर निवासी कंवरपुरा जिला बून्दी ने सूचना देकर अवगत करवाया कि - "मैं कंवरपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मेरे मकान में नया विद्युत कनेक्शन करवाने के लिये हमारे लाईनमैन ज्ञान जी को फाईल व डिमाण्ड बनाने के लिये 15,000 रु दिये तथा फाईल जमा करवा दी। उसके बाद भी मेरे कनेक्शन नहीं किया तथा लाईनमैन ज्ञान जी खुद व अपने बड़े अधिकारी के नाम से 15000 रु रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं रिश्वत नहीं देकर लाईनमैन ज्ञान जी को रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूँ। लाईनमैन ने बताया है वह 30 तारीख को धनेश्वर आयेगा। इसलिए आप 30 तारीख को धनेश्वर आ जाओ।" परिवादी द्वारा दी गई सूचना से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत लेन-देन का होने से दिनांक 30.04.2022 को सूचना का सत्यापन जाना तय हुआ।

दिनांक 30.04.2022 को श्री रामसिंह कानि 78 को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द करके परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर उससे सम्पर्क कर परिवादी से लिखित शिकायत प्राप्त करने तथा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के निर्देश देकर रवाना धनेश्वर किया। बाद सत्यापन श्री राम सिंह कानि. 78 मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं परिवादी श्री धनराज गुर्जर द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा प्रार्थना पत्र के कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि " मैं निर्देशानुसार बून्दी से रवाना होकर धनेश्वर चौराहा पहुँचा, जहां पर परिवादी धनराज गुर्जर से उसके मोबाईल पर फोन किया तो परिवादी धनेश्वर चौराहा उपस्थित आया। परिवादी को कार्यवाही बाबत प्रार्थना पत्र देने को कहा तो उसने बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ, अभी यहां से टाईप करवाकर दे देता हूँ। ये कहकर परिवादी चौराहे पर स्थित कम्प्यूटर की दुकान पर गया और कम्प्यूटर पर एक प्रार्थना पत्र टाईप करवाकर टाईपशुदा प्रार्थना पत्र लाकर मेरे समक्ष पेश किया और बताया कि लाईनमैन ज्ञान




जी मेरे से फाईल व डिमाण्ड के नाम से तथा नया विद्युत कनेक्शन देने के नाम से 15000 रु और मांग रहा है। मैं लाईनमैन को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। ज्ञान जी लाईनमैन कोटा रहता है जो अभी धनेश्वर आयेगा।" इस पर थोड़ी देर इंतजार किया परन्तु लाईनमैन नहीं आया। इस पर परिवादी से उसके स्वयं के मोबाईल नम्बर 9660130322 से लाईनमैन ज्ञान जी के मोबाईल नम्बर 6367626009 पर मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु कर वार्ता करवाई तो आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारी के लिये 15000 रु रिश्वत की मांग की गई। उसके तुरन्त बाद आरोपी ने परिवादी को कॉल करके 15,000 रु स्वयं के मोबाईल नम्बर पर फोन-पे करने को कहा गया। उक्त वार्ताओं को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी को बूंदी चलने को कहा तो बताया कि "मुझे आज शादी में बाहर जाना है। मैं सोमवार को आपके ब्यूरो कार्यालय बूंदी आ जाऊंगा।" श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की शिकायत का अवलोकन किया गया तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड दोनों वार्ताओं को लेपटॉप के जरिये सुना गया तो कथित आरोपी द्वारा परिवादी से 15,000 रुपये रिश्वत मांगने एवं रुपये फोन-पे करवाने की पुष्टि हुई। परिवादी की शिकायत को अग्रिम कार्यवाही के लिए शामिल पत्रावली किया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर व परिवादी के प्रार्थना पत्र मय पत्रावली को श्री रामसिंह कानि 78 द्वारा सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 02.05.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक ताराचन्द बाद अवकाश उपभोग के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया। श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक पुलिस राजकार्य से बाहर होने पर जरिये दूरभाष मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देश दिये कि "परिवादी श्री धनराज गुर्जर से कथित आरोपी द्वारा रिश्वत मांग सम्बंधित शिकायत व डिजिटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता को श्री रामसिंह कानि. 78 द्वारा चौकी के मालखाना मे रखवाये गये है जिन्हे रामसिंह कानि से प्राप्त कर परिवादी की शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करे।"

दिनांक 02.05.2022 को परिवादी श्री धनराज गुर्जर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आया तथा पूछताछ पर मन ताराचंद पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि- "मैं कंवरपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने मेरे मकान में नया विद्युत कनेक्शन करवाने के लिये हमारे लाईनमैन ज्ञान जी को कहा तो उसने मेरे से फाईल बनाने की एवज में 15000 रुपये लिये तथा सप्ताहभर बाद मेरे को फाईल लाकर दी तथा कहा कि तालेडा सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा करवानी है। उसके बाद दो तीन दिन लगातार तालेडा गया तो तीसरे दिन दिनांक 06.04.2022 को मेरी फाईल जमा करके मुझे 100 रु की रसीद काट कर दे दी। इसके बाद मैं वापस ज्ञान जी से मिला तो उसने कहा कि साहब 15000 रु और लेगें तो मैंने कहा कि डिमाण्ड आदि सबकी 15000 रु में बात हुई थी मैंने आपको 15000 रु दे दिये, मेरे पास अब रुपये नहीं हैं तो ज्ञान जी ने मेरे से कहा कि साहब ने कहा है तो रुपये देने ही होंगें, वर्ना कनेक्शन नहीं होगा। मैं ज्ञान जी लाईनमैन को 15000 रु डिमाण्ड व फाईल के दे चुका हूँ। मैं ज्ञान जी लाईनमैन को 15000 रु रिश्वत के नहीं देना चाहता हूँ। मेरी ज्ञान जी लाईनमैन से कोई नाराजगी नहीं है तथा कोई उधारी लेन-देन भी बकाया नहीं है। मैं ज्ञान जी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ बल्कि उसको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। दिनांक 30.04.2022 को आपके कार्यालय से राम सिंह कानिस्टेबल मेरे पास डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर धनेश्वर आया था परन्तु ज्ञान जी लाईनमैन वहां नहीं आया तो मैंने ज्ञान जी को फोन किया तो उसने मेरे से फोन पर 15000 रु रिश्वत की मांग की तथा उसके बाद मेरे को फोन करके 15000 रु खुद के नम्बर पर फोन-पे करने के लिये बोला है। मेरे द्वारा की गई मोबाईल फोन पर वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन करके श्री राम सिंह कानिस्टेबल ने दोनों वार्ताओ को वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड कर लिया।"

श्री रामसिंह कानि. 78 ने कार्यालय के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकार्डर व परिवादी श्री धनराज गुर्जर द्वारा दिनांक 30.04.2022 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र लांकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया। परिवादी धनराज गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड दोनों वार्ताओं को लेपटॉप के जरिये सुना गया तो आरोपी व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारी के लिये 15000 रु रिश्वत की मांग करना तथा आरोपी ने परिवादी को कॉल करके 15000 रु स्वयं के मोबाईल नम्बर पर फोन-पे करने की पुष्टि हुई। डिजिटल वॉईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई दोनो वार्ताओं को श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 द्वारा लेपटॉप में सेव किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ। ट्रेप कार्यवाही के लिये दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी के नाम तहरीर जारी कर गवाह लाने हेतु श्री राम सिंह कानि. 78 को रवाना किया गया। श्री राम सिंह कानि. 78 कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बूंदी से स्वतंत्र गवाह श्री पप्पूलाल पुत्र श्री गिरिराज सेन जाति नाई उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोस्ट माईजा तहसील के0पाटन जिला बूंदी हाल हाल कनिष्ठ सहायक व श्री ओम प्रकाश सेनी पुत्र श्री भवर लाल उम्र 26 साल जाति माली निवासी प्रताप नगर, गणेश बाग के सामने देवपुरा बूंदी हाल कनिष्ठ सहायक को लेकर कार्यालय आया। स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी धनराज गुर्जर से करवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की सहमति चाही गई तो दोनों गवाहों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा दिनांक 30.04.2022 को पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया, गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये।



परिवादी धनराज गुर्जर के मोबाईल नं. 9660130322 से आरोपी ज्ञान लाईनमैन जेवीवीएनएल के मोबाईल नं. 6367626009 पर दिनांक 30.04.2022 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता प्रथम को मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप में लिया जाकर परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में परिवादी से आवाज की पहचान करवाई जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्त मांग सत्यापन वार्ता प्रथम श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी ज्ञान लाईनमैन जेवीवीएनएल के मोबाईल नं. 6367626009 से परिवादी धनराज गुर्जर के मोबाईल नं. 9660130322 पर दिनांक 30.04.2022 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय को मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप में लिया जाकर गवाहान की मौजूदगी में परिवादी से आवाज की पहचान करवाई जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्त मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादी धनराज गुर्जर के मोबाईल फोन से आरोपी ज्ञान जी लाईनमैन के मोबाईल फोन पर कॉल करवाया तो आरोपी ने परिवादी का फोन रिसीव नहीं किया। परिवादी ने बताया कि "ज्ञान लाईनमैन कोटा से आता है और सायंकाल चार-पांच बजे तक वापस कोटा चला जाता है, इसलिए कल सुबह उससे बात करके आप को बता दूंगा। आज मुझे पारिवारिक कार्यक्रम में बाहर जाना है।" इस पर परिवादी श्री धनराज गुर्जर को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। स्वतंत्र गवाहान को आईन्दा तलब किया जाने पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया। डिजिटल वाईस रिकार्डर व कार्यवाही पत्रावली श्री रामसिंह कानि 78 द्वारा सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया।

दिनांक 03.04.2022 को श्री रामसिंह कानि 78 ने मन पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया कि "परिवादी धनराज गुर्जर का फोन आया है उसने बताया है कि आरोपी ज्ञान जी लाईनमैन ईद की छूट्टी होने के कारण कोटा है तथा वह आज व कल ऑफिस नहीं आयेगा। इसलिए मैं आपको दिनांक 05.05.2022 को लाईनमैन से बात करके बता दूंगा या आपके कार्यालय में बून्दी आ जाऊंगा।"

दिनांक 05.05.2022 को श्री राम सिंह ने बताया कि मेरी परिवादी धनराज गुर्जर से मोबाईल पर वार्ता हुई है उसने बताया है कि "लाईनमैन ज्ञान जी 10-11 बजे धनेश्वर आयेगा। मेरे पास बून्दी आने का समय नहीं है इसलिये आप लोग धनेश्वर चौराहे पर आ जाओं। मैं आपको वही मिल जाऊंगा।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहों को जरिये दूरभाष ब्यूरो कार्यालय बून्दी में उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री पप्पूलाल सेन कनिष्ठ सहायक व श्री ओम प्रकाश सेनी कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय बून्दी उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहों का एसीबी टीम से परिचय करवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि 350 द्वारा मालखाना से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई। मालखाना से ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वाईस रिकार्डर व लेपटॉप प्रिन्टर व अन्य उपकरण सरकारी वाहन बोलेरो में रखवाये गये।

सरकारी वाहन बोलेरो में दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री पप्पूलाल सेन कनिष्ठ सहायक व श्री ओम प्रकाश सेनी कनिष्ठ सहायक व एसीबी जाप्ता श्री चन्द्रेश गोयल कानि. 279, श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 को धनेश्वर चौराहे पर पहुँचने के निर्देश देकर रवाना किया तथा पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री राजकमल कानि. 330, राम सिंह कानि. 78 व श्री मनोज कानि. 452 प्राइवेट वाहन से बून्दी से रवाना होकर धनेश्वर चौराहे पहुँचा। परिवादी धनराज गुर्जर अपनी निजी कार सहित उपस्थित मिला। परिवादी धनराज गुर्जर ने बताया कि "लाईनमैन ज्ञान जी आज ही मेरे से रुपये लेगा, मेरे पास 5000 रुपये की ही व्यवस्था हो पाई है।" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते के धनेश्वर चौराहे से एनएच-27 पर कुछ दूरी पर सडक के साईड में उपस्थिति छुपाते हुये अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ।

परिवादी श्री धनराज गुर्जर ने अपने पास से 500-500 रुपये के 10 नोट कुल 5,000 रुपये मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 द्वारा सरकारी वाहन बोलेरो के डेक्स बोर्ड में से फिनोपथलीन पावडर की शीशी बाहर निकलवाकर मंगवाई गई। जमीन पर एक अखबार बिछाकर उसके उपर थोडा पावडर डालकर सभी नोटो पर फिनोपथलीन पावडर श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 द्वारा लगवाया गया। परिवादी श्री धनराज गुर्जर की जामा तलाशी गवाह श्री ओमप्रकाश सेनी से लिवाई जाकर पावडर लगे नोट परिवादी श्री धनराज गुर्जर की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से रखवाये गये। तत्पश्चात बोलेरो से साफ पानी की बोतल मंगवाकर एक कांच के गिलास में पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 की फिनोपथलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सम्बधितो को दिखाकर गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से फिनोपथलीन पाउडर की शीशी को वापस सरकारी वाहन बोलेरो के डेक्स बोर्ड में रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोपथलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्री

प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री धनराज गुर्जर को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सुपुर्द किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टांत पृथक से मुर्तिब कर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 12.03 पी.एम. पर डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करवाकर परिवादी धनराज गुर्जर के मोबाईल नम्बर 9660130322 से आरोपी ज्ञान लाईनमैन के मोबाईल नं. 6367626009 पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करके वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने बताया कि मैं पटियाल में जम्फर जोड रहा हूँ घन्टाभर लगेगा, मिस्त्री को दे जा। परिवादी ने कहा कि मैं वही आ जाता हूँ। इस पर आरोपी द्वारा पटियाल आने की बात कही। उक्त वार्ता को भी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया।

मन् पुलिस निरीक्षक, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ता के वाहनों से एनएच-27 धनेश्वर चौराहा से रवाना होकर प्राइवेट/सरकारी वाहनों से एनएच-27 पटियाल लिंक रोड पहुँचा। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करवाकर परिवादी धनराज गुर्जर के मोबाईल से आरोपी ज्ञान लाईनमैन के मोबाईल पर मोबाईल का स्पीकर ऑन करके वार्ता करवाई गई तो आरोपी ने परिवादी को कहा कि मदन जी के ढाबे पर आ जा। उक्त वार्ता को भी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया।


परिवादी श्री धनराज गुर्जर को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सुपुर्द किया तथा परिवादी धनराज गुर्जर व राम सिंह कानि. को परिवादी की कार में मदन जी के ढाबे के सामने एनएच-27 पर सडक के पास कार खडी करवाकर आरोपी के आने का इंतजार करने के निर्देश दिये गये तथा मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता मदन जी के ढाबे पर परिवादी पर निरागनी रखते हुये मुकीम रहें।

समय 12.41 पी.एम. पर एन.एच. 27 पर स्थित मदन जी के जय अम्बे रानी होटल के सामने, डाबी कोटा राजमार्ग पर परिवादी धनराज गुर्जर ने अपनी कार के पास खडे खडे एक व्यक्ति से बात करते हुये अपने सिर पर दायां हाथ दो बार फेरकर इशारा किया, जिस पर परिवादी के साथ भेजे गये राम सिंह कानि. 78 ने कार से बाहर निकल कर उक्त व्यक्ति को पकड लिया, मन् पुलिस निरीक्षक ढाबे पर मुकीम टीम के सदस्यों को साथ लेकर परिवादी के पास पहुँचा तो एक टीशर्ट व जीन्स पेन्ट पहने हुये व्यक्ति ने अपने हाथ में पांच-पांच सौ रूपये के नोट पकड रखे थे। परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि साहब यही ज्ञान जी लाईनमैन है जिन्होंने अभी मेरे से 5000 रूपये लिये और मैंने आपको सिर पर हाथ फेरकर इशारा कर दिया। आरोपी ज्ञान लाईनमैन के दाये हाथ से पांच-पांच सौ रूपये को गवाह ओमप्रकाश सैनी से लिवाकर गिनवाया गया तो 500-500 के 10 नोट कुल 5000 रु मिलें, उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया गया तो गवाह ने नोटों के नम्बरों का मिलान कर सभी नोट रिश्वती होना बताया। नोटों को गवाह ओमप्रकाश सैनी के पास सुरक्षित रखवाये गये।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता व पद पूछा तो उसने अपना नाम ज्ञानस्वरूप मेघवाल पुत्र श्री गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 52 साल निवासी रामदेव जी मन्दिर के पास, नयाखेडा पुलिस थाना कुन्हाडी जिला कोटा शहर हाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी होना बताया।

परिवादी धनराज गुर्जर से ली गई रिश्वत राशि 5000/-रूपये के सम्बध मे आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल से पूछने पर बताया कि धनराज गुर्जर की फाईन विद्युत कनेक्शन के लिये जमा है मेरे को जेईएन साहब रामावतार जी ने कहा था कि धनराज से 15000 रूपये और लेने है तो मैंने धनराज गुर्जर को फोन पर बता दिया था आज धनराज गुर्जर ने मुझे 5000 रूपये दिये है, ये रूपये जेईएन साहब रामावतार जी के कहने से लिये है। इस पर डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु करवाकर आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के मोबाईल नं. 6367626009 से सदिग्ध रामावतार कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल नं. 9001779637 पर कॉल लगाकर स्पीकर ऑन करके वार्ता करवाकर परिवादी धनराज गुर्जर से 5000 रूपये लेने के सम्बंध में बताने पर सदिग्ध रामावतार कनिष्ठ अभियन्ता ने रूपये लेकर ऑफिस में हेमन्त से मिलने को कहा। उक्त मोबाईल पर हुई रिश्वत लेन-देन सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया।

चूंकि आरोपी आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल द्वारा परिवादी से 5000 रूपये रिश्वत राशि रामावतार कनिष्ठ अभियन्ता के कहनुसार लेना बताने पर तथा रिश्वत लेन-देन सत्यापन वार्ता में भी रूपयों के सम्बंध में कनिष्ठ अभियन्ता ने ऑफिस में आकर हेमन्त से मिलने को कहा है। इसलिये आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल व रामावतार कनिष्ठ अभियन्ता का आमना सामना करवाया जाना आवश्यक होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते के आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल को साथ लेकर वाहनों से रवाना होकर कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी पहुँचा, जहाँ कार्यालय में रामावतार कनिष्ठ अभियन्ता मौजूद मिले, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर नाम पता पूछा तो घबरा गया, घबराते हुये ने अपना नाम रामावतार मीणा पुत्र श्री रामनिवास जाति



मीणा उम्र 31 साल निवासी बम्बूलिया कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी होना बताया।

मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के डिटेनशुदा आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल व रामावतार मीणा को साथ लेकर वाहनों से रवाना होकर पुलिस थाना डाबी पहुँचकर थाना प्रभारी से कार्यवाही हेतु कार्यालय में बैठने की मौखिक स्वीकृति प्राप्त की।


आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से एक साफ बोतल में थाने से पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर शीशियों को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल के बायें हाथ की अंगुलियों को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल. एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

मौके पर आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल से बरामद रिश्वत राशि 5000 रुपये को गवाह ओमप्रकाश सैनी के पास सुरक्षित रखवाये थे। गवाह ओमप्रकाश सैनी से उक्त रिश्वत राशि को प्राप्त कर बरामद नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया गया, जो इस प्रकार है:-

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998474
2	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998475
3	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998476
4	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998477
5	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998478
6	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998479
7	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998480
8	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998481
9	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998482
10	एक नोट पांच सौ रुपये	8 CV 998483

उक्त नोटों को एक सादा कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी धनराज गुर्जर से ली गई रिश्वत राशि 5000 रुपये के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल ने बताया कि धनराज गुर्जर ने अपने मकान लाईट कनेक्शन हेतु करीबन एक महिने पहले मेरे से सम्पर्क किया तो मैंने जेईएन साहब रामावतार जी मीणा से पूछकर धनराज गुर्जर को बताया था कि 15000 रुपये लगेंगे, तेरे कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद धनराज गुर्जर ने मेरे को धनेश्वर में 15000 रु दे दिये थे और डाबी से जेईएन साहब ने इस्टीमेन्ट बनाकर फाईल तालेडा भेज दी थी। इसके बाद धनराज गुर्जर लगातार मेरे लाईट कनेक्शन के बारे में पूछता रहा तो मैंने जेईएन साहब रामावतार जी मीणा से पूछा तो उन्होंने कहा कि 15000 रु ले आओ, कनेक्शन करवा देंगे। मैंने कहा कि धनराज गुर्जर ने 15000 रु मेरे को दे दिये, लेकिन मेरे काकाजी का निधन होने से मेरे से 15000 रु खर्च हो गये है। इस पर जेईएन साहब रामावतार जी ने कहा कि धनराज गुर्जर से 15000 रु और ले लेना। इसके बाद मैंने धनराज गुर्जर को 15000 रुपये और देने के लिये बोल दिया था। इसके बाद आज धनराज गुर्जर ने मुझे 5000 रु दिये थे तो आपने आकर पकड़ लिया। मैंने जेईएन साहब के कहने से रुपये लिये है। आरोपी को इस्टीमेन्ट व डिमाण्ड राशि तथा फाईल के बारे में पूछने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मेरे को इस्टीमेन्ट व डिमाण्ड के बारे में जानकारी नहीं है तथा फाईल भी जेईएन साहब को दे दी थी, मैंने मेरे अधिकारी के कहने से धनराज गुर्जर से रुपये मांगे थे तथा लिये है।

आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के उपरोक्त कथन के सम्बंध में आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता से पूछने पर बताया कि हेल्पर ज्ञानस्वरूप मेघवाल अपनी मर्जी से ही धनराज गुर्जर से रुपये ले रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। आज अभी थोड़ी देर पहले हेल्पर ज्ञानस्वरूप ने मेरे को मोबाईल पर कॉल कर बताया कि धनराज गुर्जर ने 5000 रु दिये है उस समय पावर हाउस में आईसोलेटर टूटने के कारण रिपेयर करवाने की जल्दबाजी में मैंने ज्ञानस्वरूप को बोल दिया था कि ऑफिस आ जा और हेमन्त से मिल लेना, उस समय मैं ऑफिस में काम कर रहा था। मैंने धनराज गुर्जर से कोई रिश्वत की मांग नहीं की है, ना ही धनराज गुर्जर से कभी रुपये लिये है।



इस पर पास में खड़े परिवादी धनराज गुर्जर ने आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता की बात का खण्डन करते हुये बताया कि मैं मेरे मकान पर विद्युत कनेक्शन के लिये जेईएन साहब के पास गया तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक लाख रुपये का खर्चा आयेगा। तब मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ मेरे घर कनेक्शन नहीं होगा तो लाईट के बिना मेरी पत्नि मुझे छोड़कर चली जायेगी। इस पर जेईएन साहब ने कहा कि तेरे लाईनमैन ज्ञानस्वरूप मेघवाल से मौका दिखवाता हूँ तु भी उससे मिल लेना, वो तेरे को कनेक्शन के बारे में रास्ता बता देंगे। आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता से परिवादी की विद्युत कनेक्शन की फाईल के बारे में पूछने पर बताया कि मैंने दिनांक 26.04.2022 को ही इस्टीमेन्ट बनाकर फाईल अग्रिम कार्यवाही हेतु सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल तालेडा को भिजवा दी थी।


चूंकि परिवादी से आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल ने अपने मोबाईल से रिश्वत मांग, लेन-देन वार्ताएँ की गई है तथा रिश्वत लेन-देन के बाद आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल पर रिश्वत लेन-देन सत्यापन वार्ता करवाई गई है। अतः दोनों आरोपीगण ज्ञानस्वरूप मेघवाल व रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के मोबाईल फोनों को बतौर वजह सबूत जप्त करना आवश्यक है। अतः आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के पास मिले एक ओप्पो कम्पनी का मोबाईल, बरंग लाल, सिम नं. 6367626009, आईएमईआई नं. 869260035878552/869260035878545 को मय सिम स्वीच ऑफ करके एक कागज के लिफाफे पर विवरण अंकित करके सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर अनुसंधान के क्रम में कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के पास मिले एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल, बरंग ब्ल्यू, सिम नं. 9001779637 व 9602373953, आईएमईआई नं. 353410100748718/353411100748716 को मय सिम स्वीच ऑफ करके एक कागज के लिफाफे पर विवरण अंकित करके सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर अनुसंधान के क्रम में कब्जे ब्यूरो लिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत नोट व हाथ धुलाई मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

दोनों डिटेशनशुदा आरोपीगण को एसीबी जाप्ता श्री चन्द्रेश कानि. 279, राम सिंह कानि. 78 व मनोज कानि. 452 को सिपुर्द कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी शेष जाप्ते के प्राइवेट वाहन से पुलिस थाना डाबी से रवाना होकर ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल एन.एच. 27 पटियाल लिंक रोड मदन जी के जय अम्बे रानी होटल के सामने, डाबी कोटा राजमार्ग पहुँचकर ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल का परिवादी की निशादेही से निरीक्षण किया जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नक्शा मौका फर्द तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। बाद मौके की कार्यवाही के डाबी पहुँचकर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, एसीबी जाप्ते के आरोपीगण रामावतार मीणा व ज्ञानस्वरूप मेघवाल व ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा आर्टिकल्स को लेकर रवाना होकर सरकारी व प्राइवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया।

आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी एवं आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये जाकर आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में पृथक-पृथक नोटिस दिया गया तो आरोपीगण ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में अपनी आवाज का नमूना देने से मना किया। प्रत्युत्तर जवाब पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। ट्रेप कार्यवाही से आरोपी 1. श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल पुत्र श्री गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 52 साल निवासी रामदेव जी मन्दिर के पास, नयाखेडा पुलिस थाना कुन्हाडी जिला कोटा शहर हाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी, 2. श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री रामनिवास जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी बम्बूलिया कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 7ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व धारा 120बी. भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर दोनों आरोपीगण को जरिये फर्द पृथक-पृथक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

परिवादी श्री धनराज गुर्जर तथा आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के मध्य दिनांक 05.05.2022 को हुई रिश्वत लेन-देन प्रयास वार्ता प्रथम को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लिया जाकर सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी से पहचान करवाई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसी प्रकार परिवादी श्री धनराज गुर्जर तथा आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के मध्य दिनांक 05.05.2022 को हुई रिश्वत लेन-देन प्रयास वार्ता द्वितीय को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लिया जाकर सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी से पहचान करवाई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

परिवादी श्री धनराज गुर्जर तथा आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के मध्य दिनांक 05.05.2022 को हुई वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल




वाईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लिया जाकर सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की परिवादी से पहचान करवाई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल व आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य दिनांक 05.05.2022 को मोबाईल पर करवाई गई रिश्वत लेन-देन सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में लिया जाकर सुना गया एवं रिकार्डशुदा वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

परिवादी श्री धनराज गुर्जर व आरोपी श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी के मध्य दिनांक 30.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय एवं दिनांक 05.05.2022 को परिवादी धनराज गुर्जर व आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन प्रयास वार्ता प्रथम व द्वितीय एवं वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता तथा आरोपी ज्ञानस्वरूप मीणा व रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी के मध्य मोबाईल पर हुई रिश्वत लेन-देन सत्यापन वार्ता सहित कुल 06 रिकार्ड वार्ताओं को ए0सी0बी0 बून्दी के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उक्त 6 वार्ताओं को श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से सरकारी लेपटॉप में लिवाया जाकर मेरे निर्देशन में वार्ताओं की 05 सी.डी. तैयार करवाई गई, उक्त 04 सी.डी. (एक सी.डी. माननीय न्यायालय हेतु, दो सी.डी. आरोपीगण, एक सी.डी. आवाज नमूना कार्यवाही हेतु) को कपडे की थैली में अलग-अलग रखकर सील मोहर किया गया एवं एक सी0डी0 को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखी गई। फर्द डबिंग शामिल पत्रावली की गई। बाद ट्रेप कार्यवाही परिवादी धनराज गुर्जर व दोनों स्वतंत्र गवाहों को रूखस्त किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जप्तशुदा रिश्वत राशि 5000 रुपये, आरोपी के दोनो हाथों के धोवन की शिल्डशुदा शिशियां, आरोपीगण के 2 मोबाईल फोन, शिल्डशुदा 4 सीडी व 1 अनसिल्ड सीडी को श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 से सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी धनराज गुर्जर निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी के आवासीय मकान के विद्युत कनेक्शन करने की एवज में आरोपी श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी द्वारा आरोपी श्री रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी से मिलीभगत करके 15000 रु प्राप्त कर लिये तथा 15000 रुपये और रिश्वत मांग की गई। दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी द्वारा अन्य आरोपी श्री रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी के लिये 15000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। दिनांक 05.05.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी को परिवादी धनराज गुर्जर से 5000 रु रिश्वत लेते हुये पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी के हाथ से बरामद की गई है। आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल के दोनो हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। मौके पर आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल से आरोपी रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी को मोबाईल से कॉल करवाकर रिश्वत लेन-देन सत्यापन वार्ता करवाई गई तो आरोपी रामावतार मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता को रिश्वत लेने की सूचना देने पर आरोपी ज्ञानस्वरूप मेघवाल को कार्यालय में आने को कहा व हेमन्त से मिलने को कहा गया। उक्त सत्यापन वार्ता से दोनों आरोपीगण श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल व श्री रामावतार मीणा द्वारा आपसी मिलीभगत करके परिवादी से रिश्वत मांगने एवं रिश्वत प्राप्त करने के आपराधिक कृत्य की पुष्टि होती है।

ट्रेप कार्यवाही से आरोपीगण 1. श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री रामनिवास जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी बम्बूलिया कलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी एवं 2. श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल पुत्र श्री गणेशराम जाति मेघवाल उम्र 52 साल निवासी रामदेव जी मन्दिर के पास, नयाखेडा पुलिस थाना कुन्हाडी जिला कोटा शहर हाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बूंदी के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी. भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः दोनों आरोपीगण के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन सी0पी0एस0 जयपुर प्रेषित है।


(ताराचन्द)


पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बूंदी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120बी. भा.दं.सं. में आरोपीगण

1. श्री रामावतार मीणा कनिष्ठ अभियन्ता जेवीवीएनएल डाबी जिला बून्दी एवं
2. श्री ज्ञानस्वरूप मेघवाल सहायक-प्रथम (H-1) जेवीवीएनएल डाबी जिला बून्दी


के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 169/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 1506-11 दिनांक:- 6.5.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सचिव(प्रशासन)जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. विद्युत भवन,जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता,(बू.वृ.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.,बून्दी।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।